सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– **01/538/2015**

1 सुखपाल पुत्र छाजा जाति माली
2 कालूराम पुत्र छाजा जाति माली
3 काना पुत्र रामसहाय जाति माली निवासीयान बास गोविन्दपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर.

...प्रार्थीगण

बनाम्

1 राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर
2 तहसीलदार राजगढ, अलवर

....अप्रार्थी

दावा इस्तकरारहक अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थित– 1. श्री सतीश विजय एड0– वादी
2. पैरोकार सरकार– प्रतिवादी

निर्णय **दिनांक 05.03.2021**

1. आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध दावा इस्तकरारहक्क का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण की हाल आराजी खसरा संख्या 534/0.11, 536/0.21, 545/0.12, 546/0.12, 547/0.06, 549/0.15, 553/0.10, 544/606/0.04 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 0.91 है0 वाके ग्राम गोविन्दपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। बन्दोबस्त सम्वत् 2046 से पूर्व उक्त आराजी के साबिक आराजी खसरा संख्या 299 रकबा 9 बिस्वा, 304 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 308 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 309 रकबा 6 बिस्वा, 313 रकबा 12 बिस्वा, 315 रकबा 8 बिस्वा वाके ग्राम गोविन्दपुरा थे एवं उक्त आराजीयात के वादीगण 1 व 2 के पिता छाजा व वादी संख्या 3 काना काबिज काश्तकार थे। बन्दोबस्त सम्वत् 2046 के द्वारा उक्त साबिक खसरा संख्यान् के हाल खसरा संख्या 534/0.11 है0, 536/0.21 है0, 545/0.12 है0,

546/0.12 है0, 547/0.06 है0, 549/0.15 है0, 553/10 है0, 544/606/0.04 है0 कुल किता 8 रकबा 0.91 है0 दर्ज किया गया। इस प्रकार बंदोबस्त सम्वत् 2046 को साबिक कुल रकबा 1.09 है0 के बनिस्पत कुल रकबा 0.91 है0 दर्ज किया गया। इसी प्रकार हाल खसरा संख्या 537/0.06 है0 जो कि वादीगण के साबिक खसरो से ही कायम किया गया है, को सिवायचक दर्ज कर दिया गया। बंदोबस्त विभाग के कार्मिकों को साबिक राजस्व रिकार्ड में खातेदारी संबंधी इन्द्राज में रद्दोबदल का अधिकार नहीं है। अन्त में दावा वादी स्वीकार करने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये। उनके द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण ने निवेदन किया कि बंदोबस्त विभाग सम्वत् 2046 ने कब्जा मौकानुसार सही अंकन किया है एव वादी का दावा खारिज योग्य है।

3. प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम किय गये हैः—

1— आया वादीगण आराजी खसरा नम्बर 534/0.11, 545/0.12, 546/0.12, 544/606/0.04, का 28 है0 के स्थान पर 0.32 है0 का खसरा नम्बर 536/0.21 है0 के स्थान पर 26 है0 का अमल 537/0.06 है0, खसरा नम्बर 547/0.06 है0 के स्थान पर 0.08 है0 का खसरा न0 549/0.15 है0 तथा खसरा न0 533/0.10 है0 वाके ग्राम गोविन्दपुरा का काबिज खातेदार काश्तकार है और इस प्रकार रिकॉर्ड की दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। — वादीगण

2– आया वादीगण उक्त आराजीयात खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है तथा आराजी के निस्फ हिस्से के खातेदार वादी संख्या–1 व 2 तथा निस्फ हिस्से के खातेदार वादी संख्या–3 है।

– वादीगण

3– आया वादीगण, प्रतिवादीगण को आराजी खसरा न0 537/0.06 है0 वाके ग्राम गोविन्दपुरा से जबरन बेदखल न करे तथा कार्यकाश्त में रूकावट मजाहमत नहीं करे और धारा 91 एल0आर0एक्ट0 की कार्यवाही न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। *– वादीगण*

4– आया वादी वर्तमान इन्द्राज बन्दोबस्त कब्जे के अनुसार सही किया गया है। *– प्रतिवादीगण*

5– अन्य दादरसी *– उभयपक्ष*

4. वादी ने दावे के समर्थन में निम्न दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किये–

Exb-1 *धारा 91 की कार्यवाही का नोटिस*

Exb-2 *जमाबंदी सम्वत् 2034*

Exb-4 *बंदोबस्त सम्वत् 2046 का पर्चा नोटिस*

Exb- 5 *नकल जमाबंदी सम्वत् 2049*

Exb-6 *जमाबंदी सम्वत् 2049*

Exb-3 *मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2046*

5. वादी ने दावे के समर्थन में Pw-1 श्री सुखराम पुत्र श्री छाजूराम, Pw-2 श्री गंगल्या पुत्र श्री मूलचन्द के शपथ पत्र पर साक्ष्य जिरह करवाई गयी। इसी प्राकर Dw- 1 श्री घासीलाल वर्मा पुत्र श्री खुबाराम वर्मा तहसीलदार राजगढ़ की साक्ष्य करवाई गयी जो कि लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली की है।

6. प्रकरण हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2005 को खारिज करते हुये निर्णित कर दिया था। इससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष अपील संख्या 96/2006 प्रस्तुत की। उक्त अपील में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा निर्णय दिनांक 11.02.2009 द्वारा वर्तमान न्यायालय को कम दर्ज किये गये रकबे के बारे में पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः निर्णयन हेतु आदेशित किया गया। अतः प्रकरण में पटवार हल्का की रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गयी।

7. उभय पक्ष बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस उभय पक्षों ने अपने–अपने तथ्यों को दोहराया मात्र। प्रकरण में शामिल पत्रावली दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में न्यायालय का विवाद्यक वार निष्कर्ष इस प्रकार है।

8. प्रकरण में सर्वप्रथम बंदोबस्त सम्वत् 2046 के मिलान क्षेत्रफल की प्रासंगिक इन्द्राज का उल्लेख आवश्यक है जो कि इस प्रकार है–

मिलान क्षेत्रफल ग्राम गोविन्दपुरा बन्दोबस्त सम्वत् 2046

गत खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
299	9 बिस्वा	534	0.11 है0
304 मि0	1 बीघा 6 बिस्वा	536	0.21 है0
		537	0.6 है0
308 मि0	1 बीघा 6 बिस्वा	545	0.12 है0
		546	0.12 है0
		544/606	0.04 है0

309	6 बिस्वा	547	0.06 है0
313	12 बिस्वा	549	0.15 है0
311	4 बिस्वा	544	0.11 है0
311 मिन	4 बिस्वा	550	0.04 है0
312 मिन	4 बिस्वा		
312 मिन	4 बिस्वा	551	0.05 है0

9. प्रकरण में पैरा संख्या 8 से स्पष्ट है कि बंदोबस्त सम्वत् 2046 से पूर्व वादीगण की खातेदारी में मुताबिक Exb-2 जमाबंदी सम्वत् 2034 द्वारा साबिक आराजी खसरा संख्या 299 रकबा 9 बिस्वा, 304 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 308 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, 309 रकबा 6 बिस्वा, 313 रकबा 12 बिस्वा, 315 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 6 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा आराजी दर्ज रिकार्ड रही है। वादीगण की आराजी के कुल रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा का मैट्रिक माप अनुसार परिवर्तन पर रकबा 1.08 है0 बनता है। बंदोबस्त सम्वत् 2046 के द्वारा वादीगण की खातेदारी के साबिक खसरों से हाल खसरा संख्या 534/0.11, 536/0.21, 545/0.12, 546/0.12, 547/0.06, 549/0.15, 553/0.10, 544/606/0.04 है0 कुल किता 8 कुल रकबा 0.91 है0 कायम किये गये। इस प्रकार वादीगण की आराजी के साबिक रिकार्ड एवं हाल रिकार्ड तथा बीघा प्रणाली को मैट्रिक प्रणाली में परिवर्तन करने के पश्चात् तुलना करने से स्पष्ट है कि वादीगण की हाल आराजी का रकबा 1.08 है0 के बनिस्पत 0.91 है0 दर्ज कर 0.17 है0 रकबा कम दर्ज किया गया है।

10. इसी प्रकार पैरा संख्या–8 की सारणी एवं साबिक व हाल जमाबंदी से स्पष्ट है कि वादीगण की साबिक आराजी खसरा संख्या 304 मिन रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा से बन्दोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा कायम किये गये हाल खसरा संख्या 537 रकबा 0.06 है0 को सिवायचक के खाते में दर्ज कर दिया गया। इसी प्रकार मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त सम्वत् 2046 के द्वारा साबिक खसरा संख्या 308 मिन से हाल खसरा संख्या 594/606 रकबा 0.04 है0 कायम किया गया है। हाल नक्शा किश्तवार ग्राम गोविन्दपुरा के अवलोकन से स्पष्ट है कि हाल खसरा संख्या 594/606 का खसरा ही नक्शे पर दर्ज नही है। अतः

साबिक खसरा संख्या 308 मिन से बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा कायम किया गया हाल खसरा संख्या 594/606 रकबा 0.04 है0 सहवन से लिपिकीय त्रुटि के कारण 544/606/0.04 है0 के स्थान पर 594/606/0.04 है0 दर्ज हो गया प्रतीत होता है। यह सम्भावना इस कारण भी पुष्ट होती है कि वादी की खातेदारी में दर्ज साबिक खसरा संख्या 308 मिन से बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा कायम किये गये हाल खसरा संख्या 545/0.12 है0, 546/0.12 है0 एवं हाल खसरा संख्या 594/606/0.04 है0 आपस में समीपस्थ अंकित है।

11. प्रकरण में मुताबिक जमांबदी सम्वत् 2049 प्रदर्श–6 वादी की खातेदारी आराजी की स्थिति निम्न प्रकार है –

मिलान क्षेत्रफल ग्राम गोविन्दपुरा बन्दोबस्त सम्वत् 2046

गत खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
299	9 बिस्वा	534	0.11 है0
304 मि0	1 बीघा 11 बिस्वा	536	0.21 है0
308 मि0	1 बीघा 11 बिस्वा	545	0.12 है0
		546	0.12 है0
		544/606 या 594/606	0.04 है0
309	6 बिस्वा	547	0.06 है0
313	12 बिस्वा	549	0.15 है0
304 मि0	1 बीघा 11 बिस्वा	553	0.10 है0
		कुल किता 8	कुल रकबा 0.91 है0

12. इस प्रकार साबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2034 प्रदर्श–2 में दर्ज वादी की खातेदारी आराजी, मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्त सम्वत् 2046 प्रदर्श–3 एवं प्रदर्श–6 जमाबंदी सम्वत् 2049 से यह स्पष्ट है कि वादीगण की आराजी साबिक रिकार्ड के अनुसार बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा 0.17 है0 कम दर्ज किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार बंदोबस्त सम्वत् 2046 के द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के वादी की

खातेदारी आराजी संबंधी राजस्व रिकार्ड में रद्दोबदल किया गया है। जो काबिल–ए–दुरूस्ती प्रतीत होता है।

13. प्रकरण में माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्देशानुसार वादी की आराजीयात् बंदोबस्त सम्वत् 2046 के दौरान 0.17 है0 कम दर्ज आराजी की जॉच पटवारी से करवाकर जॉच रिपोर्ट के अवलोकन से तथ्य सामने आया कि हाल खसरा संख्या 537 रकबा 0.06 है0 सिवायचक दर्ज किया गया है वह बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा वादीगण की आराजी साबिक खसरा संख्या 304 मिन रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा से कायम किया गया है। बन्दोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा इस प्रकार जमाबंदी में बंदोबस्त प्रक्रिया के दौरान खातेदारी संबंधी इन्द्राज को यथावत रखना होता है। परन्तु इस प्रकरण में बंदोबस्त विभाग द्वारा जमाबंदी में बंदोबस्त प्रक्रिया के दौरान खातेदारी संबंधी इन्द्राज में रद्दोबदल किया गया है अर्थात् खातेदारी आराजी को सिवायचक दर्ज किया गया है जो कि क्षेत्राधिकार/प्राधिकार से बाहर है। अतः बंदोबस्त विभाग द्वारा क्षेत्राधिकार/प्राधिकार से बाहर जाकर किया गया इन्द्राज रद्दोबदल काबिल–ए–दुरूस्त है। इस प्रकार हाल खसरा संख्या 537 रकबा 0.06 है0 सिवायचक वादी की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

14. इसी प्रकार हाल खसरा संख्या 544 रकबा 0.11 है0 किस्म गैर मुमकिन मंदिर दर्ज किया गया जो कि बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा साबिक खसरा संख्या 311 रकबा 4 बिस्वा से कायम किया गया है। गौरतलब है कि हाल खसरा संख्या 544 रकबा 0.11 है0 बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा साबिक खसरा संख्या 311 रकबा 4 बिस्वा या 0.05 है0 के बमुकाबले हाल रकबा 0.11 है0 कायम कर 0.06 है0 रकबा ज्यादा दर्ज किया गया है। साबिक नक्शा किश्तवार ग्राम गोविन्दपुरा तहसील राजगढ एवं हाल नक्शा किश्तवार ग्राम गोविन्दपुरा तहसील राजगढ के अवलोकन से प्रतीत होता है कि बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा साबिक खसरा संख्या 308 मिन रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा में से 0.06 है0 रकबा हाल खसरा संख्या 544/0.11 है0 में मिलाकर 0.06 है0 रकबा अधिक दर्ज कर दिया गया है। बन्दोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा इस प्रकार जमाबंदी में बंदोबस्त प्रक्रिया के दौरान खातेदारी संबंधी इन्द्राज को यथावत रखना होता है।

परन्तु इस प्रकरण में बंदोबस्त विभाग द्वारा जमाबंदी में बंदोबस्त प्रक्रिया के दौरान खातेदारी संबंधी इन्द्राज में रद्दोबदल किया गया है अर्थात् खातेदारी आराजी को सिवायचक दर्ज किया गया है जो कि क्षेत्राधिकार/प्राधिकार से बाहर है। अतः बंदोबस्त विभाग द्वारा क्षेत्राधिकार/प्राधिकार से बाहर जाकर किया गया इन्द्राज रद्दोबदल काबिल–ए–दुरूस्त है। इस प्रकार हाल *खसरा संख्या 544 रकबा 0.11 है0* में से 0.06 है0 रकबा साबिक नक्शा किश्तवार ग्राम गोविन्दपुरा तहसील राजगढ एवं हाल नक्शा किश्तवार ग्राम गोविन्दपुरा तहसील राजगढ का मिलान करते हुये वादी की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

15. इसी प्रकार हाल खसरा संख्या 550 रकबा 0.04 है0 गैर मुमकिन मंदिर दर्ज किया गया है जो कि साबिक खसरा संख्या 311 मिन तथा 312 मिन रकबा 4 बिस्वा से कायम किया गया है। साबिक खसरा संख्या 311 मिन रकबा 4 बिस्वा से बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा हाल खसरा संख्या 544/0.11 है0 कायम किया गया है। पैरा 11 के निष्कर्ष अनुरूप हाल खसरा संख्या 544/0.11 है0 के स्थान पर 0.05 है0 दर्ज होना चाहिये। इसी प्रकार साबिक खसरा संख्या 312 मिन रकबा 4 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन चाह से बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा हाल खसरा संख्या 551/0.04 है0 किस्म गैर मुमकिन चाह कायम किया गया। साबिक नक्शा किश्तवार ग्राम गोविन्दपुरा तहसील राजगढ एवं हाल नक्शा किश्तवार ग्राम गोविन्दपुरा तहसील राजगढ के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की आराजी में दर्ज साबिक खसरा संख्या 313 रकबा 12 बिस्वा में से बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा हाल खसरा संख्या 549/0.15 है0 कायम किया है। साबिक खसरा संख्या 313 रकबा 12 बिस्वा, 310 एवं 312 रकबा 4 बिस्वा के मध्य साबिक रिकार्ड एवं साबिक नक्शा किश्तवार में गैर मुमकिन मन्दिर का कोई खसरा अवस्थित नही था। परन्तु बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा साबिक खसरा संख्या 313 रकबा 12 बिस्वा, 310 एवं 312 रकबा 4 बिस्वा से कायम किये गये हाल खसरा संख्या 549, 548, 551 के मध्य नवीन खसरा संख्या 550/0.05 है0 कायम कर गैर मुमकिन मन्दिर दर्ज कर दिया। साबिक रिकार्ड में दर्ज साबिक खसरा संख्या 311 रकबा 4 बिस्वा गैर मुमकिन मन्दिर के बमुकाबले हाल राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन मन्दिर के नाम हाल खसरा संख्या 544/0.11 है0 एवं हाल खसरा संख्या 550/0.05 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.16 है0

दर्ज कर दिया गया। इससे स्पष्ट है कि गैर मुमकिन मन्दिर के नाम 0.11 है0 रकबा अधिक दर्ज कर दिया गया। बन्दोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा इस प्रकार जमाबंदी में बंदोबस्त प्रक्रिया के दौरान खातेदारी संबंधी इन्द्राज को यथावत रखना होता है। परन्तु इस प्रकरण में बंदोबस्त विभाग द्वारा जमाबंदी में बंदोबस्त प्रक्रिया के दौरान खातेदारी संबंधी इन्द्राज में रद्दोबदल किया गया है अर्थात् खातेदारी आराजी को सिवायचक दर्ज किया गया है जो कि क्षेत्राधिकार/प्राधिकार से बाहर है। अतः बंदोबस्त विभाग द्वारा क्षेत्राधिकार/प्राधिकार से बाहर जाकर किया गया इन्द्राज रद्दोबदल काबिल–ए–दुरूस्त है। इस प्रकार हाल खसरा संख्या 550/0.05 है0 साबिक नक्शा किश्तवार ग्राम गोविन्दपुरा तहसील राजगढ एवं हाल नक्शा किश्तवार ग्राम गोविन्दपुरा तहसील राजगढ का मिलान करते हुये वादी की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

16. इस प्रकार साबिक नक्शा किश्तवार ग्राम गोविन्दपुरा व हाल नक्शा किश्तवार ग्राम गोविन्दपुरा के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मुताबिक प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त सम्वत् 2046 के द्वारा साबिक खसरा संख्या 308 मिन से हाल खसरा संख्या 594/606 रकबा 0.04 है0 कायम किया गया है। हाल नक्शा किश्तवार ग्राम गोविन्दपुरा के अवलोकन से स्पष्ट है कि हाल खसरा संख्या 594/606 का खसरा ही नक्शे पर दर्ज नही है। अतः साबिक खसरा संख्या 308 मिन से बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा कायम किया गया हाल खसरा संख्या 594/606 रकबा 0.04 है0 सहवन से लिपिकीय त्रुटि के कारण 544/606/0.04 है0 के स्थान पर 594/606/0.04 है0 दर्ज हो गया प्रतीत होता है। यह सम्भावना इस कारण भी पुष्ट होती है कि वादी की खातेदारी में दर्ज साबिक खसरा संख्या 308 मिन से बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा कायम किये गये हाल खसरा संख्या 545/0.12 है0, 546/0.12 है0 एवं हाल खसरा संख्या 594/606/0.04 है0 आपस में समीपस्थ अंकित है साथ ही साबिक नक्शा किश्तवार ग्राम गोविन्दपुरा व हाल नक्शा किश्तवार ग्राम गोविन्दपुरा के अवलोकन से प्रतीत होता है कि साबिक खसरा संख्या 311 मिन रकबा 4 बिस्वा से बन्दोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा हाल खसरा संख्या 544/0.11 है0 किस्म गैर मुमकिन मन्दिर रकबा 0.05 के स्थान पर 0.06 है0 रकबा अधिक दर्ज किया गया है। इसी प्रकार बंदोबस्त सम्वत् 2046 द्वारा वादी की आराजी में शामिल साबिक खसरा संख्या 308 मिन 1 बीघा

6 बिस्वा से कायम हाल खसरा संख्या 544/606/0.04 है0 रकबा सिवायचक दर्ज किया गया है। बंदोबस्त विभाग द्वारा बिना क्षेत्राधिकार के खातेदारी संबंधी इन्द्राज में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर रद्दोबदल किया गया है जो कि काबिल–ए–दुरूस्त है। इस प्रकार हाल खसरा संख्या 544/606/0.04 है0 वादी की खातेदारी में यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

17. इस प्रकार वादीगण को हाल खसरा संख्या 537 रकबा 0.06 है0, 544/606/0.04 है0 तथा हाल खसरा संख्या 544/0.11 है0 में से 0.06 है0 कुल रकबा 0.16 है0 का खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार विवाद्यक संख्या 1 वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है।

18. साबिक जमाबंदी सम्वत् 2034 वाके ग्राम गोविन्दपुरा तहसील राजगढ प्रदर्श–2 के प्रासंगिक राजस्व इन्द्राज का उद्धरण किया जाना उचित प्रतीत होता है जो कि इस प्रकार है–

खाता संख्या	भूधारक का नाम	काश्तकार का नाम	खसरा संख्या
15	राजस्थान सरकार	छाजा पुत्र सुवा 1/2 हिस्सा काला पुत्र रामसहाय 1/2 हिस्सा जाति माली सा0 देह खातेदारान	299/9 बिस्वा
			304/ 1 बीघा 6 बिस्वा
			308/1 बीघा 6 बिस्वा
			309/ 6 बिस्वा
			313/ 12 बिस्वा
			315/ 8 बिस्वा
			कुल 4 बीघा 6 बिस्वा

19. प्रदर्श–2 मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2034 1/2 हिस्से का दर्ज खातेदार छाजा पुत्र सुवा के वारिस वादी संख्या 1 एवं 2 है। इसी प्रकार प्रदर्श–2 मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2034 1/2 हिस्से का दर्ज खातेदार काना पुत्र रामसहाय वादी संख्या 3 है। अतः स्पष्ट है कि वादीगण साबिक आराजी मुताबिक

हिस्सा जमाबंदी सम्वत् 2034 तनकी संख्या 1 के अन्तर्गत घोषित खातेदारी आराजी के खातेदार घोषित होने के अधिकारी प्रतीत होते है। अतः विवाद्यक संख्या 2 वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

20. तनकी संख्या 3 में वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अभिवचन किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् तीन महत्वपूर्ण शर्ते इस प्रकार है कि–

> ***(अ) वादी का विवादित आराजी पर स्वामित्व होना चाहिए। विवादित आराजी के संबंध में वादी ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है उस आराजी पर वादी का स्वामित्व होना अति आवश्यक है।***

21. प्रकरण में वर्णित आराजी वादी की मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2049 खातेदारी की आराजी है एवं विवाद्यक संख्या 1 व 2 के वादीगण के पक्ष में स्वीकार होने से विवादित आराजी के वादीगण रिकार्डेड खातेदार दर्ज है। अतः शर्त संख्या–1 वादी के पक्ष में स्पष्ट रूप से साबित होने से पूर्ण प्रतीत होती है।

> ***(ब) वादी का विवादित आराजी के संबंध में सुविधा का संतुलन होना आवश्यक है। अर्थात् वादी का संबंधित आराजी पर वैध कब्जा होना चाहिए।***

22. प्रकरण में वर्णित आराजी वादी की मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2049 खातेदारी की आराजी है तथा मुताबिक प्रदर्श–1 धारा 91 की कार्यवाही का नोटिस बाबत् हाल खसरा संख्या 537 शामिल पत्रावली है। चूंकि हाल खसरा संख्या 537 रकबा 0.04 है0 सिवायचक दर्ज रहा है और वादीगण के पक्ष में धारा 91 की कार्यवाही भी हुई है जो कि वादीगण का कब्जा स्पष्ट करती है। साथ ही अन्य खसरा संख्यान पर वादीगण की खातेदारी दर्ज होने के कारण कब्जा माना जाना प्रमाणित परिकल्पना है। अतः शर्त संख्या–2 वादीगण के पक्ष में स्पष्ट रूप से साबित होना प्रतीत होती है।

(स) प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही करने पर वादी को अपूरणीय क्षति सम्भावित है। अर्थात् आराजी मुतनाजा पर अगर वादी को दीगर व्यक्ति द्वारा आराजी मुतनाजा के उपभोग एवं आमद–रफत में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो वादी को अपूरणीय क्षति होना सम्भावित है।

23. प्रकरण में तनकी संख्या 1 एवं 2 वादीगण के पक्ष में स्वीकार होने के कारण उक्त मुतनाजा आराजी वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है तथा वादी उक्त आराजी पर कब्जा काश्त करता चला आर रहा है प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई स्वामित्व नही है। उक्त विचाराधीन प्रकरण में वादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का दावा किया गया है। जिसमें वादी का अनुतोष स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। अतः सुस्थापित नियम की सभी शर्ते स्पष्ट रूप से वादी के पक्ष में साबित होने पर दावा वादी स्वीकार योग्य प्रतीत होता है। अतः विवाद्यक संख्या 3 वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

24. विवाद्यक संख्या 4 इस प्रकार है कि आया वादी वर्तमान इन्द्राज बन्दोबस्त कब्जे के अनुसार सही किया गया है। तनकी संख्या 1 व 2 के विवेचन से स्पष्ट है कि परन्तु इस प्रकरण में बंदोबस्त विभाग द्वारा जमाबंदी में बंदोबस्त प्रक्रिया के दौरान खातेदारी संबंधी इन्द्राज में रद्दोबदल किया गया है अर्थात् खातेदारी आराजी को सिवायचक दर्ज किया गया है जो कि क्षेत्राधिकार/प्राधिकार से बाहर है। अतः बंदोबस्त विभाग द्वारा क्षेत्राधिकार/प्राधिकार से बाहर जाकर किया गया इन्द्राज रद्दोबदल काबिल–ए–दुरूस्त है। अतः विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादीगण के विपक्ष में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

25. प्रकरण में मुख्य अनुतोष वादीगण की ओर से खातेदारी अधिकारो की घोषणा बाबत् तथा प्रतिवादीगण द्वारा दावा खारिज करने बाबत् अनुतोष हेतु अभिवचन किये गये है। प्रकरण में अन्य कोई अनुतोष उपलब्ध होना प्रतीत नही होता है। यहां यह गौरतलब है कि वादीगण के पक्ष में तनकी संख्या 1 एवं 2 के स्वीकार होने के कारण हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज हाल खसरा संख्या 537/0.04 है0 एवं हाल खसरा संख्या 544/0.11 है0 में से 0.06 है0 एवं हाल खसरा संख्या 550/0.06 है0 आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा स्वीकार की गई है। हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी वाके ग्राम गोविन्दपुरा तहसील राजगढ में दर्ज हाल खसरा संख्या 537/0.04 है0, हाल खसरा संख्या 544/0.11 है0 एवं हाल खसरा संख्या 550/0.06 है0 वर्तमान में खाता संख्या 1 सिवायचक दर्ज है। अतः तहसीलदार राजगढ बहैसियत भूमिधारक प्रकरण में हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज हाल खसरा संख्या 537/0.04 है0 एवं हाल खसरा संख्या 544/0.11 है0 में से 0.06 है0 एवं हाल खसरा संख्या

550/0.06 है0 आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की अनुपालना करने से पूर्व अगर सरकार का कोई हित नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा हो तो प्रकरण में अपील बाबत् भली–भाति एवं आवश्यक रूप से पूर्व सक्षम स्तर से परीक्षण एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर तदनुरूप ही कार्यवाही अमल लावें।

26. प्रकरण में विवाद्यक संख्या 1 लगायत 3 वादीगण के पक्ष में स्वीकार करना एवं विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादी के विरूद्व स्वीकार होने के साथ–साथ विवाद्यक संख्या 5 में भू–धारक को निर्देशात्मक निष्कर्षो के पश्चात् प्रकरण निर्णित किया जाता है। अतः

आदेश है कि

वादीगण का दावा इस्तकरारहक्क अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकर किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं वादीगण संख्या 1 व 2 तथा वादी संख्या 3 को निस्फ–निस्फ हिस्से का हाल आराजी खसरा संख्या 534/0.11 है0, 536/0.21 है0, 545/0.12 है0, 546/0.12 है0, 547/0.06 है0, 549/0.15 है0, 553/10 है0, 537/0.06है0 व 544/606/0.04 है0 तथा 544/0.11 है0 में से 0.06 है0 का खातेदार घोषित किया जाता है। साथ ही वादीगण संख्या 1 व 2 तथा वादी संख्या 3 को निस्फ–निस्फ हिस्से का हाल आराजी खसरा संख्या 534/0.11 है0, 536/0.21 है0, 545/0.12 है0, 546/0.12 है0, 547/0.06 है0, 549/0.15 है0, 553/10 है0, 537/0.06है0 व 544/606/0.04 है0 तथा 544/0.11 है0 में से 0.06 है0 को हाल राजस्व रिकार्ड के बनिस्पत अपनी खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को बिना कानूनी प्रकिया/प्रावद्यान का पालन किये वादीगण की खातेदारी आराजीयात से बेदखल नही करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

साथ ही भूमिधारक तहसीलदार राजगढ उक्त निर्णय की अनुपालना करने से पूर्व अगर सरकार का कोई हित नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा हो तो प्रकरण का अपील बाबत् भली–भाति एवं आवश्यक रूप से पूर्व सक्षम स्तर से परीक्षण एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर तदनुरूप ही कार्यवाही अमल लावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
(अलवर)

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

(पीठासीन अधिकारी श्री केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या	किस्म वाद	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
1/538/2015	दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा	29.04.2015	05.03.2021

1 सुखपाल पुत्र छाजा जाति माली
2 कालूराम पुत्र छाजा जाति माली
3 काना पुत्र रामसहाय जाति माली निवासीयान बास गोविन्दपुरा तहसील राजगढ जिला अलवर.
...प्रार्थीगण

बनाम्

1 राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर
2 तहसीलदार राजगढ, अलवर
....अप्रार्थी

दावा इस्तकरारहक अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थित– 1. श्री सतीश विजय एड0– वादी
2. पैरोकार सरकार– प्रतिवादी

पर्चा डिक्री **दिनांक 05.03.2021**

वादीगण का दावा इस्तकरारहक्क अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकर किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं वादीगण संख्या 1 व 2 तथा वादी संख्या 3 को निस्फ–निस्फ हिस्से का हाल आराजी खसरा संख्या 534/0.11 है0, 536/0.21 है0, 545/0.12 है0, 546/0.12 है0, 547/0.06 है0, 549/0.15 है0, 553/10 है0, 537/0.06है0 व 544/606/0.04 है0 तथा 544/0.11 है0 में से 0.06 है0 का खातेदार घोषित किया जाता है। साथ ही वादीगण संख्या 1 व 2 तथा वादी संख्या 3 को निस्फ–निस्फ हिस्से का हाल आराजी खसरा संख्या 534/0.11 है0, 536/0.21 है0, 545/0.12 है0, 546/0.12 है0, 547/0.06 है0, 549/0.15 है0, 553/10 है0, 537/0.06 है0 व 544/606/0.04 है0 तथा 544/0.11 है0 में से 0.06 है0 को हाल राजस्व रिकार्ड के बनिस्पत अपनी खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

प्रतिवादीगण को बिना कानूनी प्रकिया/प्रावद्यान का पालन किये वादीगण की खातेदारी आराजीयात से बेदखल नही करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। साथ ही भूमिधारक तहसीलदार राजगढ उक्त निर्णय की अनुपालना करने से पूर्व अगर सरकार का कोई हित नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा हो तो प्रकरण का अपील बाबत् भली–भाति एवं आवश्यक रूप से पूर्व सक्षम स्तर से परीक्षण एवं मार्गदर्शन प्राप्त कर तदनुरूप ही कार्यवाही अमल लावें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.03.2021 को तैयार की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
(अलवर)

सत्यमेव जयते